प्रेस-विज्ञप्ति

बर्ड फ्लू की आशंका के तहत दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने चिकन बिक्री पर लगाया रोक

दीव 12 जनवरी, 2021 : भारत के कई राज्यों में बर्ड-फ्लू के मामलों के देखते हुए दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने दीव जिले में चिकन बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है। दीव जिले में पॉलर्टी और गैर-पॉलर्टी पक्षियों की बिक्री और उपयोग पर अगले आदेश तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध के निदेश दिये गये हैं। इसका मूल कारण देश के विविध हिस्सों में बर्ड-फ्लू के पाये गये मामले हैं। जिला प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाते हुए संबंधितों को आदेश दिया है कि अब इस प्रदेश में किसी भी राज्य से पॉलर्टी और गैर-पॉलर्टी पक्षियों का आयात नहीं होगा। साथ ही जिन बिक्रेताओं ने फ्रॉजन पॉलर्टी वस्तुएं रखी हैं वो तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक लगा दें। होटलों में भी अब चिकन से संबंधित व्यंजनों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।

ध्यातव्य है कि देश के कई हिस्सों में एविएन इंफ्लूऐंजा यानि बर्ड-फ्लू के लक्षण पाये गये हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए चिकन आहार पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थिति के मद्देनजर दीव समाहर्ता ने आदेश जारी करते हुए चिकन और उससे संबंधित वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर अगले आदेश तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दीव जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका के मुख्य अधिकारी के साथ मोटर वाहन निरीक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इस आदेश को पूर्ण रूप से जिले भर में लागू करवायें ताकि लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो।